राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग

72,शिवाजी नगर,सिविल लाईन्स,जयपुर (राज.)

E-mail id-ebcrajasthan3@gmail.com दूरभाष नं0: 01412221955–01412221956

क्रमांक / रा.रा.आ.पि.व.आ. / 2016–17 / सर्वे / 12 / 116 दिनांक 15.02.2017

सर्वे प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य के अनारक्षित वर्गो में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण कराने हेतु ।

राजस्थान सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप 11(163)(आपिवआ) / आरएण्डपी / सा.न्या.अ.वि. / 12 / 4153 दिनांक 10.01.2013 के अनुसार राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से पिछडे हुए समाज के वर्गो का चिन्हिकरण, पिछडेपन के कारण, उनको दूर करने के उपाय एवं उनके समग्र विकास हेतु आवश्यक सुझाव एवं सिफारिशे देने हेतु पुर्नगठित इस आयोग के द्वारा सामाजिक समरसता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर तथा अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के आरक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करते हुए समाज के आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो का चिन्हिकरण कर उनको समग्र बनाने, उनकी आवश्यकताओ का आंकलन करने एवं डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13491 / 2009 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2010 के क्रम में परिवारो का सर्वे कर परिमाणानात्मक आंकडे (Quantifiable data) का संकलन करने का कार्य करना है।

इस हेतु सर्वे करवाये जाने के लिए सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है । इच्छुक सर्वे एजेन्सियो द्वारा सीलबंद प्रस्ताव आयोग के कार्य–दिवसो एवं कार्यालय समय में दिनांक 2 मार्च 2017 शाम को 4 बजे तक उपस्थित होकर जमा कराये जा सकते है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा आयोग कार्यालय में प्रेंषित किये जा सकते है। इसके पश्चात प्राप्त प्रस्तावो पर विचार नही किया जावेंगा।

सर्वे में प्रयोग की जाने वाली साम्रगी / प्रश्नावली (Tentative shedules) एवं आवश्यक शर्ते तथा वांछित सूचनाएं इस आयोग से प्राप्त की जा सकती हैं एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की web Site http://sje.rajasthan.gov.in एवं आयोग की SPPP की Site http://sppp.rajasthan.gov.in के पोर्टल पर देखी जा सकती है। प्राप्त प्रस्तावो को दिनांक 06 मार्च 2017 का मध्यान्ह 1 बजे गठित कमैटी के सम्मुख खोले जावेंगे।

भवदीय

(मिथलेश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग

72,शिवाजी नगर,सिविल लाईन्स,जयपुर (राजस्थान)

Mail id-ebcrajasthan3@gmail.com दूरभाष नं0: 01412221955–01412221956

राजस्थान राज्य में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो का सर्वे

------------x----------x----------x---------

टिप्पणी :– यह सर्वे अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं विशेष पिछडे वर्गो (SBC) को छोडकर अन्य वर्गो के संबंध में किया जाना है जो समाज में आर्थिक रूप से पिछडे हुए है।

क्रमांक :– 1 परिवार का विवरण

	सर्वेक्षक का नाम	सर्वे की दिनांक
I.	परिवार के मुखिया का नाम...................................	पिता/पति का नाम)..
II.	जाति.. क्या आप आरक्षित जाति में शामिल है।	उम्र आयु वर्ग 18 से 30 वर्ष................................... 30 से 40 वर्ष.................................. 40 से 60 वर्ष.................................. 60 से ऊपर....................................... व्यवसाय– परम्परागत/अन्य
III.	मकान नं0...	गली/मौहल्ला...
IV.	गाँव/शहर..	तहसील ....
V.	जिला..	थाना...
VI.	टेलिफोन नं0.. मोबाईल नं0..	
VII.	राशन कार्ड के अनुसार घर के सदस्यों की संख्या	

VIII	क्या कोई व्यवसाय आपके परिवार के साथ पारम्परिक तौर से जुडा हैं ? हाँ/नही	कौनसा व्यवसाय	
IX	परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में शामिल है अथवा नही ? क्या B.P.L. में शामिल है :–	हाँ	नहीं

क्रंमाक :– 2 परिवार के सदस्यों का विवरण:–

क्रंमाक संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	मुखिया से संबंध	पुरूष / महिला	उम्र (पूर्ण वर्ष)	शिक्षा– अनपढ़, प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक,स्नाकोत्तर, मेडिकल, तकनीकी	विशेष योग्यजन है यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकार	वैवाहिक स्थिति कुंवारा / तलाक / विधुर / विधवा / शादी शुदा / नातायत	मुख्य व्यवसाय	अन्य व्यवसाय / मजदूरी आदि	मासिक आय
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.										
II.										

कम्रांक :– 3 घर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:–

(I) घर का स्वामित्व – स्वयं का / किराये का / अन्य :–

.(II) घर का प्रकार :–(a) झोपडी (1)कच्चा (2)पक्का (3) घर का क्षेत्रफल

(b) सरकारी सहायता प्राप्त, मुख्यमंत्री जन आवास योजना / इंन्दिरा आवास योजना या

अन्य योजना में निर्मित आवास ....

(b) लागत

(III) पीने के पानी के मुख्य साधन

(IV) घर से पानी के मुख्य साधन की दूरी

(V) घर मे रोशनी का मुख्य साधन

(VI) खाना बनाने के लिए ईंधन का मुख्य साधन

(VII) घर में शौचालय की सुविधा – हॉ / नहीं

(VIII) घर में स्नानघर की सुविधा – हॉ / नहीं

क्रमाक :– 4 परिवार का व्यवसाय **(परिवार की वार्षिक आय)**

क्रमाक सं.	व्यवसाय	रूपये / वर्ष	
		मसिक	वार्षिक
1	खेती		
2	पशुपालन		
3	खेती में मजदूरी		
4	राजकीय सेवा		
5	निजी सेवा		
6	अन्य कोई आय का साधन –विवरण सहित		
7	परिवार की कुल आय		

क्रमाक :–5 परिवार का वार्षिक व्यय

क्रमाक सं.		रूपयें
	परिवार के विभिन्न प्रकार के व्यय	
I	भोजन व वस्त्र आदि पर वार्षिक व्यय	
II	शिक्षा पर वार्षिक व्यय	
III	चिकित्सा पर वार्षिक व्यय	
IV	सामाजिक गतिविधिंया/रीति रिवाजो विवाह व अन्य समारोह पर वार्षिक व्यय	
V	ऋण पर ब्याज की राशी	
VI	अन्य व्यय (विवरण सहित)	
VII	कुल वार्षिक व्यय	

क्रमाक :–6 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि

(I) क्या परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है ?

(हॉ) (नहीं)

.(II) अगर हो तो निम्न प्रकार से विवरण दें :–

	सिंचित		असिंचित		कुल बीघा–बिस्वा
	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
a. स्वामित्व की					
a. लीज पर ली गई					
b. लीज पर दी गई					
(a)(b)(c) की कुल भूमि					

कंमाक :–7 परिवार की सम्पत्तियों का विवरणः–

कंमाक	सम्पत्ति का विवरण	वर्तमान कीमत रूपयों में
1	व्यवसाय की सम्पति (दुकान,गोदाम)	
2	कृषि–भूमि	
3	कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर थ्रेशर आदि	
4	जेवरात	
5	मवेशी गाय, भैंस,बकरी आदि	
6	वाहन कार / दो पहिया वाहन / ट्रक आदि	
7	अन्य सम्पत्ति	

(8)- शिक्षा से वंचित रहने के कारण :–

पढाई छोडनें वाले व्यक्तियों का विवरण		कारण	
	अंतिम कक्षा	धन के अभाव में	अन्य कारण
1			
2			
3			

क्रंमाक :–09 क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हैं ? यदि है तो–
(सेवारत व्यक्ति का नाम/पिता का नाम) मुखिया से संबंध
एक से अधिक है तो अलग–अलग विवरण दें।

सेवारत व्यक्तियों का नाम	क्षेत्र/केन्द्र/राज्य स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र	पद	विभाग/प्रतिष्ठान	स्थान	कब से	मासिक आय (रूपयों मे)	ग्रेड

क्रमांक :– 10 परिवार में अब तक लोकतान्त्रिक तरीको से चुने गये। नामांकित किये गये –पंच सरपंच , सदस्य , प्रधान–पंचायत समिति, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, (अध्यक्ष) नगर पालिका/नगर परिषद, नगर निगम, सहकारी समीतिया, विधायक, सांसद, (लोक सभा ,राज्य सभा,) (कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं अन्य निर्वाचित। नामांकित किये गये प्रतिनिधियों का विवरण समिति या अन्य संस्था) आदि।

क्रंमाक	नाम	संस्था का नाम व पद जिसके लिये निर्वाचित/नामांकित हुए	कब से कब तक	चुने गये नामांकित

नोटः– कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर रहा हो तो सब का विवरण अंकित करें ।

क्रंमाक :– 11 कर्जदारी

1. क्या आपने पिछले पांच वर्षो में कोई ऋण लिया है हाँ (1)/नहीं (2)/यदि हाँ तो विवरण दें:–

ऋण की राशि	
ऋण का स्त्रोत	
ऋण लेने के कारण	
बकाया ऋण की राशि (सर्वे के समय)	

कमांक :—12 अन्य जानकारी निम्नांकित बिन्दुओं सहितः—

(I) आर्थिक रूप से पिछडे परिवारों के मुख्य—मुख्य कारणः—

1.

2.

3.

आदि—आदि कारण।

(II) ऐसे परिवारों की मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता है ?
उदाहरण के रूप मे (I) शिक्षा(II) स्वयं का व्यवसाय (III) राजकीय सेवा मे प्रवेश (IV) निजी सेवा मे प्रवेश (V) चिकित्सा सेवा मे प्रवेश या अन्य।

(III) परिवार के मुखिया की राय में आर्थिक रूप से पिछडे वर्गो की पहचान के लिए क्या मापदण्ड होने चाहिए ?

(IV) क्या राज्य सरकार ने आर्थिक रूप ये पिछडे वर्गो के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से कोई योजनाएं बनाई है ? अगर हां हो तो उनका विवरण देः—

(V) आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या ठोस उपाय राज्य सरकार के द्वारा अब तक उठायें गए एवं क्या उपाय होने चाहिए।

(VI) क्या पिछडेपन का आधार केवल आर्थिक होना चाहिए।

(VII) अन्य कोई सुझाव

उपरोक्त वर्गो की आर्थिक स्थिति के बारे मे अन्य कोई जानकारी

नोटः— सभी प्रकार के डाटा की coding सर्वे एजेन्सी द्वारा की जाएगी।

प्रमाणित **हस्ताक्षर**

पटवारी / ग्रामसेवक / स्कूल अध्यापक

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग

72,शिवाजी नगर,सिविल लाईन्स,जयपुर (राज.)

क्रमांक / रा.रा.आ.पि.व.आ. / 2017 / दिनांक.....................

आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के सर्वे हेतु आवश्यक शर्ते

1. **राजस्थान राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग को छोड़ते हुए अन्य परिवारों का सर्वे करवाया जाना है।**
2. यह सर्वे सम्पूर्ण राजस्थान में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछडे परिवारों का करवाया जाएगा। यह सर्वे सम्पूर्ण राजस्थान में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछडे अनुमानित 40 हजार परिवारों का करवाया जावेगा। इन 40 हजार परिवार में से 30 हजार परिवारों का ग्रामीण क्षेत्र में एवं 10हजार परिवारों का शहरी क्षेत्र में सर्वे करवाया जावेंगा। सर्वे हेतु चयनित परिवारों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।
3. सर्वे कराये जाने वाले परिवारों का चयन रेंडम पद्धति (Rendom basis) से करवाया जायेगा। राजस्थान में 288 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील की 2 ग्राम पंचायतो में तथा 192 नगरीय क्षेत्रो में से प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में कम से कम 2 वार्डो का सर्वे किया जाना है इस प्रकार लगभग 500 वार्डो में सर्वे किया जाना है। प्रत्येक चयनित वार्ड में 20 परिवारो का सर्वे किया जाना है एवं प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में 70 परिवारों का सर्वे कियाजाना है। सर्वे हेतु चयनित ग्राम पंचायत उस तहसील की न्यूनतम एवं अधिकतम आबादी वाली पंचायत होगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अधिकतम एवं न्यूनतम आबादी वाले वार्डो का चयन किया जावेगा।
4. सर्वे एजेन्सी के पास इस प्रकार के सर्वे कार्य का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। कार्य अनुभव का विवरण एवं अवधी संलग्न करे। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली की वेबसाइट पर अंकित एजेन्सीओं की एवं राज्य सरकार से अनुमोदित तथा इस कार्य को अनुभवी सर्वे एजेन्सीयों को ही उक्त कार्य दिया जावेंगा। तथा निम्नालिखित जानकारी सर्वे एजेन्सी को देनी होगी।
   - (a) एजेन्सी की प्रोफाइल
   - (b) सर्वे की कुल लागत
   - (c) प्रति परिवार सर्वे लागत
   - (d) विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं अनुभव
5. सर्वे एजेन्सी की आर्थिक स्थिति सुद्ड होनी चाहिए इसके लिए गत 2 वर्षे की Audit Report प्रस्तुत करनी होगी।
6. सर्वे एजेन्सी के पास राजस्थान में अपना कार्यालय होना चाहिए।
7. सर्वे एजेन्सी के पास विषय विशेषज्ञ, आवश्यक उपकरण तथा ग्रामीण/तहसील/जिला स्तर पर सम्पर्क करने हेतु आवश्यक संसाधन होने चाहिए। सर्वे की लागत सर्वे कार्यानुसार प्रति परिवार प्रस्तुत करनी है, जिसमें समस्त खर्चे सम्मिलित होगें।
8. सर्वे एजेन्सी अपने प्रस्ताव के साथ अपनी कार्य प्रणाली, तकनीकी समक्षता एवं विशेषज्ञो के बारे में विस्तार में अवगत कराएगी तथा सर्वे में शामिल किये जाने वाले परिवारों की चयन प्रक्रिया भी अवगत कराएगी।

9. सर्वे कार्य, कार्यादेश जारी होने की तिथि से आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। सर्वे एजेन्सी को सर्वे का कार्य पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम समय सीमा आयोग को बतानी होगी। कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात् यदि सर्वे एजेन्सी सर्वे कार्य नहीं करती है अथवा अधूरा छोड देती है, उस स्थिति में आयोग को शेष सर्वे कार्य उक्त एजेन्सी की Risk and Cost पर अन्य सर्वे एजेन्सी से कराने का अधिकार होगा।
10. सर्वे का कार्य अन्य एजेन्सी को SUB-LET नहीं करेंगे।
11. चयनित सर्वे एजेन्सी को अपने प्रस्ताव एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में आयोग द्वारा तय तारीख को अपना प्रजेन्टेशन देना होगा।
12. सर्वे कार्य पूर्णतया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा व समस्त Data आयोग की सम्पति होगी इसे किसी के साथ Share नहीं किया जायें व गोपनीयता बनाई रखी जाएं।
13. सर्वे एजेन्सी को अपने कार्य की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
14. सर्वे हेतु प्राप्त, प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त होने पर कार्यादेश जारी किया जावेंगा। किए गये कार्य का भुगतान सर्वे एजेन्सी व आयोग के मध्य हुए अनुबंध के शर्तो के अनुसार देंय होगा। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बतलाए निरस्त करने का अधिकार आयोग का रहेगा।
15. उपरोक्त शर्तो तथा सर्वे प्रश्नावली में परिवर्तन अथवा परिवर्तन करने के लिए आयोग के स्तर पर निर्णय लिये जाने का अधिकार सुरक्षित है।
16. सामान्य वित एवं लेखा नियमो (GF&AR) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की पालना करनी होगी।
17. सभी प्रकार के डाटा Hand hold device पर एकत्रित किये जाने है एवं निर्धारित Format में सूचना संकलित की जाये।
18. सभी प्रकार के Data की कोडिंग सर्वे एजेन्सी द्वारा की जावेगी।
19. सर्वे एजेन्सी द्वारा अपने सभी कार्यकर्ताओं को फोओ युक्त पहचान पत्र देना होगा जिस पर उनके मोबाइल नंम्बर अंकित हो।
20. एक परिवार का सर्वे दुबारा ना हो यह सुनिश्चित किया जाए।
21. सर्वे एजेन्सी जहा भी सर्वे कार्य करने जावे वहा के मुख्य व्यक्तियों का सर्वे के उद्धेश्यों एवं सर्वे में शामिल होने वाले बिन्दुओं की जानकारी देगी। जिसका लिखित प्रमाण–पत्र सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी से प्राप्त करना होगा।
22. सर्वे एजेन्सी को अपने कार्यकर्ताओं के नाम पते मोबाइल नम्बर व उनको सौपे गए स्थानों की पूर्व सूचना आयोग को देनी होगी। जिससे समय–समय पर सर्वे कार्य का पर्यवेक्षण किया जा सके।
23. सर्वे एजेन्सी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि जिस स्थान के लिये सर्वे कार्य किया जाना है उसका सर्वे पूर्ण रूप से कर लिया गया है।
24. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों, एक्ट, परिपत्रों एवं आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

(मिथलेश कुमार शर्मा)